रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20052026-272742
CG-DL-E-20052026-272742

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 330] नई दिल्ली, बुधवार, मई 20, 2026/वैशाख 30, 1948
No. 330] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 20, 2026/VAISAKHA 30, 1948

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मई, 2026

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (पूर्व-निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2026

फा. सं. आई.बी.बी.आई./2026-27/जी.एन./आर.ई.जी.143.—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (पूर्व-निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2021 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (पूर्व-निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया)(दूसरा संशोधन) विनियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (पूर्व-निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2021 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम कहा गया है) में विनियम 38 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"38. रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक की नियुक्ति

समाधान व्यावसायिक, अपनी नियुक्ति के तीन दिन के भीतर कारपोरेट ऋणी के उचित मूल्य और समापन मूल्य का अवधारण करने के लिए रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों के एक समूह की नियुक्ति करेगा, जब तक कि समिति, उन कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएं, रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों के दो समूहों की नियुक्ति करने का विनिश्चय नहीं करती:

परन्तु निम्नलिखित व्यक्तियों को रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा, अर्थात्:-

(क) कारपोरेट ऋणी का कोई संबंधित पक्षकार;

(ख) पूर्व-निर्धारित दिवाला प्रारंभ होने की तारीख से पांच वर्ष पूर्व की अवधि के दौरान किसी समय कारपोरेट ऋणी का कोई लेखापरीक्षक;

(ग) ऐसी दिवाला व्यावसायिक संस्था का कोई भागीदार या निदेशक, जिसका समाधान व्यावसायिक एक भागीदार या निदेशक है; या

(घ) समाधान व्यावसायिक का या ऐसी दिवाला व्यावसायिक संस्था के, जिसका समाधान व्यावसायिक एक भागीदार या निदेशक है, किसी भागीदार या निदेशक का कोई नातेदार ।"

3. मूल विनियमों के विनियम 39 के उप-विनियम (1) में,

(i) खंड (क) में, "प्रत्येक समूह के भीतर" शब्दों के स्थान पर "उस समूह के भीतर" शब्द रखे जाएंगे ।

(ii) खंड (क) में, "उस समूह के लिए" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

(iii) खंड (ख) में, "समन्वयक मूल्यांकक भी हैं" शब्दों के स्थान पर "समन्वयक मूल्यांकक भी है" शब्द रखे जाएंगे ।

(iv) खंड (ग) में, "उनके संबंधित समूह" शब्दों के स्थान पर "उनके समूह" शब्द रखे जाएंगे ।

(v) खंड (घ) में, "किसी समूह" शब्दों के स्थान पर "समूह" शब्द रखा जाएगा और "उस समूह के भीतर" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

(vi) खंड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(ङ) खंड (घ) के अनुसार समन्वयक मूल्यांकक द्वारा यथा-प्रस्तुत उचित मूल्य को कारपोरेट ऋणी का उचित मूल्य समझा जाएगा:

परन्तु जहां विनियम 38 के अधीन रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों के दो समूहों की नियुक्ति की जाती है वहां समन्वयक मूल्यांककों द्वारा प्रस्तुत उचित मूल्यों के दो प्राक्कलनों के औसत को कारपोरेट ऋणी का उचित मूल्य समझा जाएगा।"

(vii) खंड (च) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(च) प्रत्येक आस्ति वर्ग में रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा प्रस्तुत किए गए समापन मूल्य के प्राक्कलनों के कुल योग को कारपोरेट ऋणी के समापन मूल्य के रूप में समझा जाएगा:

परन्तु जहां विनियम 38 के अधीन रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों के दो समूहों की नियुक्ति की जाती है वहां प्रत्येक आस्ति वर्ग में रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों द्वारा प्रस्तुत समापन मूल्य के दो प्राक्कलनों के औसत के कुल योग को कारपोरेट ऋणी का समापन मूल्य समझा जाएगा ।"

रवि मित्तल, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./98/2026-27]

टिप्पण : भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (पूर्व-निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2021, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4 सं. 151, तारीख 9 अप्रैल, 2021 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2021-22/जी.एन./आर.ई.जी.071, तारीख 9 अप्रैल, 2021 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र. असाधारण, भाग 3, खंड 4 सं. 138, तारीख 25 फरवरी, 2026 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई/2025-26/जी.एन./आर.ई.जी.138, तारीख 25 फरवरी, 2026 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (पूर्व-निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया)(संशोधन) विनियम, 2026 द्वारा किए गए थे।

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th May, 2026

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Pre-Packaged Insolvency Resolution Process) (Second Amendment) Regulations, 2026

F. No. IBBI/2026-27/GN/REG143.— In exercise of the powers conferred by section 196 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations to further amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Pre-Packaged Insolvency Resolution Process) Regulations, 2021, namely: -

1. (1) These regulations may be called Insolvency and Bankruptcy Board of India (Pre-Packaged Insolvency Resolution Process) (Second Amendment) Regulations, 2026.

(2) They shall come into force on the date of publication in the Official Gazette

2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Pre-Packaged Insolvency Resolution Process) Regulations, 2021, (hereinafter referred to as 'the principal regulations'), in regulation 38, the following regulation shall be substituted, namely: —

"**38. Appointment of registered valuers.**

The resolution professional shall within three days of his appointment, appoint a set of registered valuers to determine the fair value and the liquidation value of the corporate debtor, unless the committee decides, for reasons to be recorded in writing, to appoint two sets of registered valuers:

Provided that the following persons shall not be appointed as registered valuers, namely: —

(a) a related party of the corporate debtor;

(b) an auditor of the corporate debtor at any time during the five years preceding the pre-packaged insolvency commencement date;

(c) a partner or director of the insolvency professional entity of which the resolution professional is a partner or director; or

(d) a relative of the resolution professional or of a partner or director of the insolvency professional entity of which the resolution professional is a partner or director."

3. In the principal regulations, in regulation 39, in sub-regulation (1),

(i) in clause (a) for the words "within each set" the words "within that set" shall be substituted.

(ii) in clause (a) the words "for that set" shall be omitted.

(iii) in clause (b) for the words "coordinating valuers" the words "the coordinating valuer" shall be substituted.

(iv) in clause (c) for the words "their respective set", the words "the set" shall be substituted.

(v) in clause (d) for the words "a set", the words "the set" shall be substituted and the words "within that set" shall be omitted.

(vi) for clause (e), the following clause shall be substituted, namely:-

"(e) the fair value as submitted by the coordinating valuer in accordance with clause (d) shall be considered as the fair value of the corporate debtor.

Provided that where two sets of registered valuers are appointed under regulation 38, the average of the two estimates of the fair value submitted by the coordinating valuers shall be considered as the fair value of the corporate debtor."

(vii) for clause (f), the following clause shall be substituted, namely:-

"(f) the aggregate of the estimates of the liquidation value submitted by registered valuer in each asset class shall be considered as the liquidation value of the corporate debtor.

Provided that where two sets of registered valuers are appointed under regulation 38, the aggregate of the average of the two estimates of the liquidation value submitted by registered valuers in each asset class shall be considered as the liquidation value of the corporate debtor."

RAVI MITAL, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./98/2026-27]

Note : The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Pre-Packaged Insolvency Resolution Process) Regulations, 2021 were published vide notification No. IBBI/2021- 22/GN/REG071, dated 9th April, 2021 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 151 on dated 9th April, 2021 and were last amended by the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Pre-Packaged Insolvency Resolution Process) (Amendment) Regulations, 2026 published vide notification No. IBBI/2025-26/GN/REG138, dated the 25th February, 2026 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No.138 on 25th February, 2026.

.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA